"लोक अदालत"

लोक-अदालत की संरचना :-

लोक अदालत की स्थापना के सम्बन्ध में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा (19) की उपधारा (2)(3) एवं (5) में प्रावधान किये गये हैं। उपधारा (2) में प्रावधान किया गया है कि किसी क्षेत्र के लिए गठित की गई लोक-अदालत में ऐसी संख्या में सेवारत या सेवानिवृत न्यायिक अधिकारियों एवं अन्य व्यक्तियों को नियोजित किया जायेगा जैसा कि राज्य प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा इस प्रकार के गठन के लिए विनिर्दिष्ट किया जायेगा। उपधारा (3)(5) में योग्यताओं का प्रावधान किया गया है।

अधिकारिता :-

लोक-अदालतों की अधिकारिता के सम्बन्ध में धारा 19(5) में उपबन्धित किया गया है कि लोक अदालत को उस मामले को विनिश्चित करने का समझौता के माध्यम से निपटारा करने की अधिकारिता प्राप्त होती है जो :—

1.) किसी न्यायालय में विचाराधीन है जिसके लिए कि लोक अदालत गठित की गई है, या

2.) लोक अदालत का क्षेत्राधिकार के अधीन आता है, परन्तु जो अभी किसी न्यायालय में नहीं पहुँचा है,

3.) जो मामले कानून की परिधि में राजीनामा के योग्य नहीं होते हैं, तो ऐसे आपराधिक मामलों को इन अदालतों में नहीं निपटाया जा सकता है।

4.) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 320 में राजीनामों के योग्य मामलों का वैधानिक दृष्टि से उल्लेख किया गया है।

➡ लोक अदालत के कार्य :-

लोक अदालत का मुख्य कार्य लोगों के बीच उत्पन्न हुए विवादों को निपटाना है, साथ ही इसके लिए पर्याप्त योजना तैयार करना और लागू करना तथा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन भी करना इसका मुख्य कार्य है। लोक अदालत के अन्तर्गत पीड़ित पक्षकार को निःशुल्क अधिवक्ता की सहायता प्रदान की जाती है। जो कि विधिक सेवा समिति के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। यही समिति अधिवक्ता को फीस पहले दी गई तो वह समिति पीड़ित पक्षकार को उसके द्वारा किये गये भुगतान को वापस कर देती है। अतः यह अदालत निम्न प्रकार के कार्य करती हैं जैसे :-

1.) सामान्य जनता को विधिक साक्षरता जारी करवाना।
2.) गांवों के अन्तर्गत विधिक साक्षरता केन्द्र बनाये जाते हैं। लोगों की क्या समस्याएं हैं एवं उसका समाधान कैसे है, इसके सम्बन्धित जानकारी लोगों के मध्य बताना,
3.) व्यक्तियों को कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना, क्योंकि कुछ लोगों यह भी समझते हैं कि बैंक से सम्बन्धित मामले इस प्रकार की अदालत में नहीं निपटाये जाते हैं, परन्तु यह गलत है कि लोक अदालत के द्वारा बैंक से

"लोक अदालत"

लोक अदालत का अर्थ:-

लोक अदालत, अदालत का एक वैकल्पिक मंच है। लोक अदालत का अर्थ है, लोगों की अपनी अदालत वैसे तो ये अदालतें 1987 में बना। इस प्रकार की अदालतों के अन्तर्गत लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। यदि लोक अदालत शब्द को अलग - अलग किया जाये तो इसका आशय आसानी से ज्ञात हो सकता है-

{ ल - लोग, क - कैसे करें, अ - अपने
दा - दावे, ल - लड़ाई - झगड़े, त - तय }

इस प्रकार की अदालत में कोई एक व्यक्ति न्यायाधीश नहीं होता है बल्कि इसमें सभी लोग मिलकर दोनों पक्षों के बीच समझौता करते हैं लेकिन इन अदालतों को कानूनी रूप न मिलने के कारण जन - सामान्य में इसी कारण इन अदालतों को विधिक स्वरूप प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 है (यथा संशोधित 1994) में इन्हें स्थान दिया गया है, अधिनियम की धारा 19 से 22 तक लोक - अदालतों के बारे में विस्तृत प्रावधान किया गया है।

लोक अदालतों में दीवानी - प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत सिविल न्यायालयों में है तथा इन्हें सिविल मामले में ही करने की अधिकारिता मामलों को निस्तारित करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है, जो कि

राजीनामा के योग्य नहीं है।

लोक अदालत का उद्देश्य :-

लोक अदालतों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य उन गरीबों की जो अपनी आर्थिक क्षमता के कारण न्याय पाने से वंचित रह जाते है तथा उनको त्वरित न्याय दिलाना है, लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना हुई है। न्यायालयों में बढ़ती हुई विचाराधीन मामलों की संख्या एवं विवादों के विचारण में होने वाले विलम्ब लम्बे समय तक मामलों का निस्तारण न होने के कारण पक्षकारों में न्याय के प्रति हीनता बढ़ी है एवं आस्था कम हुई है अतः मामलों के त्वरित निस्तारण एवं उचित न्याय देने के लिए उद्देश्य से भारत की न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियों ने स्थानीय स्तर पर स्थानीय अदालतों का आयोजन किया।

लोक अदालतों का गठन, संरचना एवं अधिकारिता :-

गठन:-

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (यथा संशोधित 1994) की धारा 13 की उपधारा (1) में 1994 उपविधि किया गया है कि प्रत्येक राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण या उच्चतम-न्यायालय विधिक सेवा समिति या अन्तरालों तालुक विधिक सेवा समिति या यथास्थिति तालुक ऐसे अन्तरालों पर एवं ऐसे स्थानों पर जिसे वह समझे लोक अदालत का गठन कर सकती है।

सम्बन्धित मुकदमें भी आसानी से निपटाये जा सकते हैं।

धारा (19) के अन्तर्गत समाज सेवी संस्थाओं पंचायतों का गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत पदाधिकारियों वर्तमान जज अथवा अतलाश प्राप्त जज या कार्यशील वकील सदस्य होते हैं।

धारा (19)(5) के अन्तर्गत यह बताया गया है कि कौन - कौन से मामले जिनका अदालत में मुकदमा नहीं आया हो निपटाया जा सकता है।

विधिक सहायता अधिनियम की धारा (20) के अन्तर्गत यह बताया गया है कि कौन - से वाद इसके द्वारा निपटाये जा सकते हैं।

लोक अदालतों की योग्यताये:-

लोक अदालतों की विशेषताएँ निम्नलिखित रूप से बतायी गयी है-

1) इससे मामलों का निपटारा पंचनामों में आपसी समझौते अथवा राजीनामाओं के द्वारा किया जाता है।

2) इससे पंचकारों के बीच कटुता को दूर कर उनमें मधुर सम्बन्ध पंचकारों के बीच स्थापित करना का प्रयास करना। इससे खर्च भी नाममात्र का होता है अर्थात इसमें वादों का निपटारे में कोई खर्चा नहीं होता।

3) मामलों का निपटारा तत्परता से हो जाता है। अनावश्यक विलम्ब नहीं होता है।

4) राजीनामा में न्यायिक अधिकारी, विधिक समाज सेवी आदि

अपनी भागीदारी निभाते है।

इस प्रकार लोक अदालत सस्ते, सुलभ एवं त्वरित न्याय का एक सशक्त तंत्र है। पंच परमेश्वर की न्याय व्यवस्था इसी का रूप है गांव में आज भी चौपाल पर न्याय की व्यवस्था प्रचलित है।

यह एक ऐसी न्यायिक प्रक्रिया है जिसके न किसी पक्ष की जीत होती है और न किसी पक्ष की हार इसलिए यह कहा जाता है कि –

" लोक अदालत का सार न जीत न हार "

लोक अदालत के लाभ:–

निम्नलिखित आँकड़ो के आधार पर लोक अदालत से प्राप्त लाभों की उपयोगिता सिद्ध हो सकती है। सन् 1981–82 से 2001 तक पूरे देश में लगभग 4,690 लोक अदालत लगाई जा चुकी है। सन् 2000 तक इनके द्वारा 35, 15, 359 मुकदमें तय किये जा चुके हैं। जिसमें 42029 मामले मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित थे। मोटर दुर्घटना के वादों में 210 करोड़ रुपये का हर्जाना लोक अदालतों के द्वारा दिलाया जा चुका है।

इसमें शराब के मुकदमें, जालसाजी के मुकदमें, भी इनके द्वारा निपटाये गये है। 2659812 मुकदमें शराब तथा आपराधिक मामलों से सम्बन्धित निपटाये गये जिससे 16 करोड़ 20 लाख रुपये सरकार को मिल चुके है।

पति - पत्नि के बीच उत्पन्न हुये विवादों से सम्बन्धित मुकदमे उ०प्र० के अन्तर्गत निपटाये जा चुके है मोटर दुर्घटना के बाद में इसका (लोक अदालत) का अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रकार के मामले अन्य अदालतों में काफी लम्बे चलते है साथ ही इस प्रकार के मामलों में त्वरित न्याय की आवश्यकता है

देश भर में अभी तक लोक सेवाओं में अच्छे राज्य की श्रेणी के अन्तर्गत उ०प्र० को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है जहाँ पर लोगों को शीघ्र व पर्याप्त न्याय इन अदालतों द्वारा दिया गया है, तथा आदमी को बहुत लम्बे समय तक कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ते है

➡ लोक अदालत की शक्तियाँ :-

अधिनियम की धारा (22) में लोक अदालत की शक्तियाँ को वर्णित किया गया है -

1.) अधिनियम की धारा (20) एवं (21) के प्रयोजनार्थ लोक अदालतों को सिविल प्रक्रिया संहिता 1980 के अन्तर्गत (सिविल - न्यायालय) का दर्जा प्रदान किया गया है तथा लोक अदालत को निम्नलिखित विनिश्चय देने के सम्बन्ध में सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्रदान की गई है

1.) साक्षियों को सम्मान जारी करना एवं शपथ पर परीक्षण करना।

2.) लोक अदालत के दस्तावेज को कि प्रस्तुतीकरण करने की शक्ति प्राप्त है

3.) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है

लोक अभिलेख को किसी न्यायालय या कार्यालय से मंगवाने का अधिकार उपयुक्त वर्णित शक्तियों के होते हुये भी प्रत्येक लोक अदालत को विवादों के सुलझाने के सम्बन्ध में अपनी स्वंय की प्रक्रिया में अपना स्वतन्त्र अधिकार है।

लोक अदालत की कार्यवाहियों को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 193, 219 एवं 228 के अन्तर्गत (न्यायिक कार्यविधि) माना गया है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 एवं अध्याय 26 के अन्तर्गत लोक अदालतों को सिविल कोर्ट की श्रेणी प्रदान की है।

अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उपरोक्त शक्तियों का प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता में है और लोक अदालत सिविल न्यायालय का दर्जा प्राप्त है अतः लोक अदालत में भी सिविल कोर्ट की शक्तियाँ निहित है।

→ लोक अदालत की आवश्यकता :-

भारतीय समाज में एक पुरानी कहावत है कि (विलम्ब से मिला न्याय न के बराबर होता है।) अर्थात विलम्ब न्याय को बिकल कर देता है। न्याय वही है जो समय पर होने लगा है और न्याय मिल जाना अधिक खर्चीला हो गया है। ऐसी स्थिति में न्याय के प्रति आम आदमी की आस्था दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसलिए वादकारियों को सस्ता, त्वरित एवं सुलभ न्याय मिले, जिसके लिए लोक अदालतों की आवश्यकता अत्यन्त

लोक अदालतों की आवश्यकता अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गई है, या वर्तमान भारत के संविधान में हमारे समाज में लोग पहले न तो ज्यादातर जागरूक थे और न ही उनमें कोई ज्यादा लड़ाई झगड़े होते थे परन्तु वर्तमान समय में लोग अब काफी जागरूक एवं साक्षर हो गये है जिन्हें अपने हितों एवं अधिकारों का पूर्ण ज्ञान है अतः वह अपने हितों की परस्पर रक्षा के लिए सक्षम हो गये है साथ ही अपने हितों की परस्पर रक्षा करने के कारण समाज के लोगों के बीच लड़ाई - झगड़े बढ़े है और मुकदमें

अतः लोक अदालतों के द्वारा इस प्रकार की समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाता है कुछ व्यक्तियों की ऐसी सोच समझ होती है कि इस प्रकार की अदालतों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही यह है कि व्यक्तियों को न्याय सस्ता एवं उचित तथा काम समय में दिलाया जा।

भारत सरकार ने लोक अदालत के सम्बन्ध में विधिक सहायता अधिनियम की स्थापना की है जिसकी धारा 19, 20, 21, एवं 22, लोक अदालत से सम्बन्धित है।

विधिक सहायता अधिनियम की धारा (19) के अन्तर्गत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की स्थापना की गई है। प्रत्येक राज्य के लिए जनपद स्तर तथा राज्यीय स्तर पर लागू है।

धारा (19) के अन्तर्गत समाज सेवी संस्थाओं पंचायतों का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत पदाधिकारियों को वर्तमान जज अथवा उत्तराधा प्राप्त

लोक अदालत द्वारा पारित आदेश का महत्व:—

अधिनियम की धारा (21) में लोक अदालत द्वारा पारित आदेश की सांविधिक महत्व को स्पष्ट किया गया है तथा लोक अदालत के आदेश को न्यायालय के आदेश की सहायता से समतुल्य प्रदान की गई है कि लोक अदालत द्वारा पारित आदेश दीवानी न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की वैधता रखता है तथा सक्षम न्यायालय के आदेश जैसा प्रभाव लोक अदालत द्वारा पारित आदेश का होता है। सभी पक्षकार उस आदेश अथवा डिक्री को मानने लिए आबद्ध होंगे।

21(2) यदि लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों में राजीनामा या समझौते हो जाता है तो कोई फीस अधिनियम की धारा (20) के अन्तर्गत दोनों पक्षकारों को आधी फीस वापिस हो जाती है।

21(3) लोक अदालत द्वारा पारित आदेश अंतिम रूप से पक्षकारों को बाध्य करता है तथा लोक अदालत के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है जिसके परिणामस्वरूप गरीब व्यक्ति आर्थिक स्थिति के कारण न्याय पाने से वंचित हो जाते थे। इन परिस्थितियों को देखते हुये भारतीय सरकार ने 1987 में लोक अदालतों का आयोजन प्रस्तुत किया जिससे गरीब व्यक्तियों को सस्ता एवं त्वरित न्याय मिलना आरम्भ हो गया है जिससे गरीब व्यक्तियों की न्याय के प्रति आस्था जगी है लेकिन इन लोक अदालतों के अधिकार में सुधार की आवश्यकता अब भी है।

★ 1) लोक अदालत के आयोजन से पूर्व लोक सेवकों एवं पक्षकारों में एक बैठक अवश्य होनी चाहिए जिससे विवाद की **व्यापकता को समझना** आसान हो सके।

★ 2) लोक अदालतों को स्थायी स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए।

★ 3) लोक अदालतों को कोई डिक्री जारी करने का अधिकार नहीं है क्योंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के तहत लोक अदालतों को अपना निर्णय पदाधिकारियों की सहमति पर पारित करना पड़ता है। अतः दोनों पक्षकारों के मध्य लोक अदालत माध्यम का काम करती है।

★ 4) लोक अदालतों को हर सप्ताह आयोजन किया जाना चाहिए तथा इनके नियमित रूप से चलाया जाये।

★ 5) अन्य न्यायालयों की भाँति लोक अदालत में भी अपील की प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

➡ **आगरा में लोक अदालत की स्थिति:—**

देश भर में लोक अदालतों का आयोजन किया गया है वहाँ इनके सुखद परिणाम मिले हैं। आगरा में लोक अदालत का आयोजन सन् 1986 से शुरू किया गया है। अतः 31.03.2000 तक आगरा में लोक अदालतों का आयोजन किया जा चुका है। 40 लोक अदालतों के माध्यम से 81562 मुकदमें 40 निपटाये जा चुके हैं। इसमें से मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित मुकदमें हैं जिनमें 1714 की अवार्ड राशि दे दी गई है 9,54,12,390

74568 अपराध से सम्बन्धित मुकदमें लोक अदालत द्वारा आगरा में निपटाये जा चुके हैं जिनमें 48,18,434/- रुपये का जुर्माना राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है।

अपराध से सम्बन्धित मुकदमे लोक अदालत द्वारा 477 तथा 2594 मुकदमें सिविल के तय किये गये हैं।

अतः हम संक्षेप कह सकते हैं कि आगरा में लोक अदालत का आयोजन सुखद एवं सफल साबित हो रहा है जिससे इसकी आगरा में व्यक्तियों का लोक अदालत के प्रति जागरूकता और विश्वास बढ़ रहा है जिससे इसकी आगरा में माँग बढ़ रही है क्योंकि आगरा में कुल जनसंख्या का लगभग 55 प्रतिशत जनसंख्या में निम्न श्रेणी की हैं जिसे सस्ता एवं सुलभ तथा त्वरित न्याय का दरकिनार है जो लोक अदालत के माध्यम से ही दिया है।

लोक अदालत के प्रति सुझाव:—

लोक अदालत के प्रचलन के बाद न्याय के प्रति लोगों में आस्था आयी है क्योंकि पूर्व में न्याय पाना जटिल समस्या थी। न्यायालयों में वादी की संख्या अधिक होने के कारण मुकदमें लम्बे चलते थे जिससे व्यक्ति न्याय मिलने में अधिक मति होती थी और समय भी अधिक लगता था।

अतः हम संक्षेप में कह सकते हैं कि आगरा में लोक अदालत का आयोजन सुखद एवं सफल साबित हो रहा है।

जज या कार्यशील वकील सदस्य होते हैं।

धारा (19)(5) के अन्तर्गत यह बताया जाता रहा है कि कौन कौन से मामले हैं जिन पर यह लागू होता है जैसे तलाक मामले, रोटी मामले जिनका अदालत में मुकदमा नहीं आया है को भी इससे निपटाया जा सकता है।

साथ ही इससे (वाद बिहीन दौत की उपयोगिता) व इनकी संख्या पर जोर डाला गया है। इसका अर्थ है कि जिले का कोई भी गांव पुने वहाँ वाद न हो।

इस धारा के अन्तर्गत यह भी बताया गया है कि लोक अदालतों में पेचीदे मामले तथा अपराध से सम्बन्धित मामलों के केस में समझौते नहीं हो सकता है।

विधिक सहायता अधिनियम की धारा (20) के अन्तर्गत यह बताया गया है कि कौन से वाद इसके द्वारा निपटाये जा सकते हैं। इसमें बताया गया है कि यदि दोनों पक्ष राजी हो कि उनका वाद लोक अदालत में लाया जाये या कोई एक पक्ष इस सम्बन्ध में राजी हो तो दूसरे पक्षकार को इस अदालत द्वारा नोटिस भेजकर उसे बुलाकर उनका समझौता कराया जाता है।

इसके अन्तर्गत मामलों में यही भी उल्लेख किया गया है कि यदि न्यायाधीश यह समझते हैं। कि किन्हीं मामलों को जैसे पति पत्नि से सम्बन्धित मामलों को लोक अदालत द्वारा ही सुलझाया जा सकता है।

उपसंहार :—

इस प्रकार यदि देखा जाये तो लोक अदालतें को लोकल सर्विस का ही एक भाग है। इसकी स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना तथा सस्ता एवं सुलभ तथा त्वरित न्याय दिलाना है ताकि वह पर्याप्त न्याय प्राप्त कर सके।

★ इस प्रकार की अदालतों के द्वारा लोगों को पर्याप्त लाभ व न्याय दिलाने के लिए विधिक सेवा समितियों, परिवार परामर्श केन्द्रों, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की स्थापना की जा चुकी है जिनके द्वारा काफी व्यक्तियों के मुकदमों को जो कि अन्य अदालतों में लम्बित होते जा रहे हैं यदि भविष्य की ओर देखा जाये तो लोक अदालत एक महत्वपूर्ण अदालत का रूप लेती नजर आ रही है।

★ क्योंकि जन लोगों का विश्वास व रुझान इस प्रकार की अदालतों की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले समय में लोक अदालतों का महत्व और भी बढ़ जायेगा। क्योंकि हमारे देश की कुल जनसंख्या का लगभग 60 प्रतिशत किसान और मजदूर वर्ग का है जो कि आर्थिक कमी के कारण किसी न्यायालय में न्याय पाने में असमर्थ रहता है चूँकि लोक अदालत में न्याय पाने में असमर्थ है इसलिए इनका आयोजन गरीब व्यक्तियों के लिए ही किया गया है। इसलिए इसमें वादों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जो भविष्य में बहुत अधिक होगी।